न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 37/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00347

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1. मिश्रीदास पुत्र हिरदास जाति कामड, निवासी झुझण्डा, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्याम सिंह सोलंकी
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :-30.9.2021

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध तहसीलदार जैतारण के प्रकरण संख्या 515/2018 बअनवान सरकार बंनाम मिश्रीदास में पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से अधिवक्ता अपीलांट द्वारा एक म्याद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि पटवार हल्का सांगावास ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जैतारण के समक्ष गैरसायल मिश्रीदास द्वारा ग्राम झुझण्डा के खसरा नंबर 125 रकबा 0.01 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण की राजकीय भूमी पर संवत 2074 में अवैध रूप से चार खम्भे लगाकर कच्चा झोपड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश की गई। जिस पर प्रकरण दर्ज कर संक्षिप्त विचारण कर गैरसायल को पश्चातवृती अतिक्रमी घोषित करते हुए अतिक्रमित भूमी से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिया तथा अतिक्रमित भूमी का सालाना लगान रूपये 0.03 का 50 गुना राशि न्यूनतम 50/-रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(2) में प्रदतं शक्तियों का प्रयोग करते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। मातहत अदालत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया एवं पश्चातवृती अतिक्रमण बताते हुए सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित कर दिया जो निरस्त योग्य है। पश्चातवृती अतिक्रमण किया जाना मातहत अदालत द्वारा पत्रावली पर सिद्ध नहीं किया जाकर संक्षिप्त कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर दिए जो निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट पिटिशन नंबर 10579/2017 में पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की जाकर जैर अपील आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सांगावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 4 की फोटोप्रति पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के दादेससुर गुलाबदास के हक में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 18.3.1962 से ही उक्त भूमी पर वह काबिज है तथा उक्त पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया जिसे निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट [illegible] अपीलार्थी को पूर्व में भी वर्ष 2016 में इसी खसरा नंबर 125 किस्म [illegible] औरण की राजकीय भूमी पर अतिक्रमण किया था। [illegible] द्वारा मु.न. 759/2016 दिनांक 8.11.2016 को [illegible] पारित किये गये थे [illegible] उक्त अतिक्रमण बाबत माननीय उच्च न्यायालय [illegible]धपुर में दायर सिविल [illegible]न नं. 12029/2015 निर्णय दिनांक 02.03.2017 की पालना में उक्त जैर अपील आराजी में स्थित अपीलार्थी के पक्के रहवासी मकान को ग्राम पंचायत सांगावास द्वारा उपलब्ध करायी गयी जेसीबी की सहायता से तहसील द्वारा गठित टीम द्वार हटाया गया था। वर्तमान में पूनः अपीलांट द्वारा उक्त राजकीय भूमी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

पश्चातवृती अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार जैतारण द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित है। अतः अपील अपिलांट निरस्त फरमाई जावे। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में सिविल कारावास जैसे कठोर दण्डात्मक आदेश पारित किए जाने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं।
2. क्या अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किया गया ?

पटवारी हल्का सांगावास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक आगेवा द्वारा बाद जाँच पेश की गई उसके आधार पर प्रकरण संख्या 515/2018 दिनांक 16.3.2018 को दर्ज कर अप्रार्थी को पश्चातवृति अतिक्रमण करने बाबत जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अदम तामील प्राप्त होने पर दुबारा तारीख पेशी 13.4.2018 का नोटिस जारी किया गया जो तामील होने पर अपीलांट मातहत अदालत में उपस्थित हुआ तथा उक्त दिवस को उसके द्वारा किसी प्रकार का जवाब साक्ष्य अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं चाहा गया। तब मातहत अदालत द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। मातहत अदालत की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान भी लिए हुए एवं पूर्व में अतिक्रमण हटाया उसकी मौका रिपोर्ट संलग्न है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत है।

पटवारी हल्का सांगावास के बयानों से पूर्व में इसी खसरा नंबर 125 की राजकीय भूमी पर वर्ष 2016 में अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार जैतारण के प्रकरण संख्या 759/2016 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2016 के द्वारा बेदखली के आदेश दिये गये थे एवं उक्त अतिक्रमण बाबत माननीय उच्च न्यायालय एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12029/2015 निर्णय दिनांक 02.03.2017 की पालना में भी अपीलार्थी मिश्रीदास द्वारा खसरा नंबर 125 रकबा 0.01 किस्म गैर मुमकिन औरण पर ग्राम झूझण्डा में अतिक्रमण करने पर ग्राम पंचायत सांगावास द्वारा उपलब्ध करवाई गई जेसीबी से तहसीलदार जैतारण द्वारा गठित कमेटी द्वारा हटाया गया था। एवं उसके पश्चात पूनः अतिक्रमण करने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 515/2018 दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित किए गए। इससे अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किया जाना सिद्ध है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं मातहत अदालत तहसीलदार जैतारण द्वारा जैर अपील प्रकरण 515/2018 बअनवान सरकार बनाम मिश्रीदास में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:50 IST
Reason: SelfAttested